राजस्व वाद संख्याः–60 / 2022
धर्मपाल बनाम प्रहलाद वगै0
निर्णय दिनांकः–04/08/2025

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर सूरजगढ झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारीः–
श्री दीपक चंदन (आर.ए.एस.)

मु0नं0 60 / 2022

1. धर्मपाल पुत्र श्रीचंद जाति जाट निवासी रूपपुरा तहसील सूरजगढ़, जिला झुंझुनू राज0।

– आवेदक

1. प्रहलाद पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी रूपपुरा तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनू राज0।
2. वेदपाल पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी रूपपुरा तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनू राज0 हाल निवासी वार्ड नम्बर 52 नर्सिंग गली किसान कॉलोनी सीकर राज0।
3. सत्यवीर पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी रूपपुर तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनू राज0।
4. राजस्थान सरकार (भूमिधारी) तहसीलदार सूरजगढ तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं राजस्थान।

–अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र अ0धा0 251 (क) उपधारा (1)
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

संक्षेप में तथ्य प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि तहसील सूरजगढ की ग्राम रूपपुरा में भूमि खसरा नं. 77 रकबा 6.49 है0 आवेदक की खुद काश्त खातेदारी की कृषि भूमि है। जिसमें आवेदक ने नजरी नक्शा दर्शाया (क) स्थान पर अपना पुख्ता कुआं व रिहायशी मकानात बनाकर आबाद है।

यह कि आवेदक ग्राम रूपपुरा तहसील सूरजगढ उपखण्ड सूरजगढ में भूमि खसरा नं. 77 रकबा 6.49 है० भूमि का खातेदार काश्तकार है। तथा उक्त भूमि में आवेदक ने अपना पुख्ता रिहायशी मकानात बनाकर आबाद है जिसमें आवेदक को उंट गाड़ी, मवेशी, ट्रैक्टर व–अन्य वाहन लाने लेजाने के लिये अनावेदक 1 लगायत 3 के भूमि खसरा नं. 81 रकबा 0.76 हैक्टर भूमि में से उक्त भूमि की पूर्वी सीमा की ओर दक्षिण से उत्तर सीमा की ओर 12 फुट चौड़ा रास्ता नजरी नक्शा के अनुसार भूमि खसरा नं. 77 में आने के लिये चाहता है।

यह कि आवेदक के खेत व रिहायशी मकान में जाने बाबत कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। आवेदक के खेत व रिहायशी मकानों में जाने बाबत अनावेदक संख्या 1 लगायत 3 के खेत खसरा नं. 81 के पूर्वी सीमा के सहारे सहारे दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर जाने वाला कटानी रास्ता से नजरी नक्शे में दर्शाये गये बिन्दू ए से बी तक का रास्ता खसरा नं. 81 के पूर्वी सीमा के सहारे सहारे दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर अपने खेत खसरा नं.

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ

राजस्व वाद संख्या:–60/2022
धर्मपाल बनाम प्रहलाद वगै0
निर्णय दिनांक:– 04/08/....2025

77 के लिये चाहता है उक्त रास्ते से निकटतम जगह है व आवेदक नजरी नक्शे में दर्शाये रास्ते के अनुसार ही वर्तमान में आना–जाना कर रहा है।

यह कि प्रार्थी को अपनी खातेदारी की भूमि में आने जाने बाबत अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है तथा नजरी नक्सा में दर्शित लाल स्याही से बिन्दू ए से बी रास्ता प्रार्थी की भूमि में आने जाने के लिये सबसे निकटतम रास्ता है उक्त प्रस्तावित रास्ते से अन्य कोई निकटतम दूरी का रास्ता नहीं लगता है प्रार्थी को प्रस्तावित रास्ते की अति आवश्यकता है।

यह कि आवेदक उक्त भूमि में से रास्ता प्राप्त करने बाबत नियमानुसार माननीय न्यायालय के आदेशानुसार राशि देने को. तैयार है इसलिए उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में अंकित किया जाना आवश्यक है ।

अतः आवेदन पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि आवेदक खेत खसरा नं. 77 में बने मकानात व विद्युत चालित कुएँ में आने जाने बाबत वाहन, उंट गाड़ा, ट्रैक्टर, मवेशी आदि को लाने ले जाने बाबत खसरा नं. 81 रकबा 0–76 हैक्टर के पूर्वी सीमा के सहारे सहारे दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर 12 फुट चौड़ा रास्ता खसरा नं. 77 में जाने के लिये नजरी नक्शा अनुसार रास्ता घोषित किया जावे व तहसीलदार सूरजगढ को उक्त रास्ता राजस्व रिकोर्ड राजस्व में अमल दरामद दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहसीलदार सूरजगढ से मौका जांच रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गयी । अप्राथीगण को बार बार आवाज लगाई गई आवाज पर अप्रार्थी न तो स्वयं हाजिर आए ना ही उनकी तरफ से कोई अधिवक्ता हाजिर आए। अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में तहसीलदार सूरजगढ़ से मौका जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली की गयी।

बहस सुनी गई

वादी वकील की बहस सुनी गयी। बहस एवं तहसीलदार से प्राप्त मौका जांच रिपोर्ट क्रमांक राजस्व/2024/231 दिनांक 18.03.2024 का अवलोकन किया गया। उक्त मौका जांच रिपोर्ट के अनुसार आवेदक द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा राजस्व ग्राम रूपपुरा की भूमि खसरा नं. 77 के लिए वर्तमान में कोई कटानी रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। प्रार्थी द्वारा खसरा नं. 81 में से नजरी नक्शे में दर्शित ए से बी रास्ता चाहा गया है जिसका क्षेत्रफल 201 वर्ग मीटर बनता है। जिसके एवज में खसरा नं. 77 में खातेदार ने अपनी भूमी में से खसरा नं. 83 की पूर्व दिशा में बिन्दू सी से डी कुल क्षेत्रफल 201 वर्ग मीटर भूमी अप्रार्थीगण को दी गई है। न्यायालय उक्त रास्ता ए से बी को कायम किया जाना न्यायोचित पाता है।

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

राजस्व वाद संख्याः–60 / 2022
धर्मपाल बनाम प्रहलाद वगै0
निर्णय दिनांकः– 04/08/....2025

आदेश

तहसीलदार सूरजगढ़ की मौका रिपोर्ट राजस्व / 2024 / 231 दिनांक 18.03.2024 के साथ भू0अ0 निरीक्षक रिपोर्ट में अंकित नक्शा में दर्शित भूमि प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 77 मौजा रूपपुरा में आने जाने के लिए नजरी नक्शे के मुताबिक खेत खसरा नम्बर 71 में से लाल स्याही से अंकित तक बिन्दू ए से बी तक कुल क्षेत्रफल 201 वर्ग मीटर अप्रार्थीगण भूमि में से लाल स्याही से अंकित रास्ता रास्ता कायम किया जाना की घोषणा की जाती है। तहसीलदार सूरजगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि वह रास्ते में जाने वाली भुमि के बदले प्रार्थी की भूमी खसरा नम्बर 77 में से खसरा नं. 83 की पूर्वी दिशा के सहारे सहारे नजरी नक्शा में बिन्दू सी से डी तक अंकित कुल भूमि क्षेत्रफल 201 वर्ग मीटर अप्रार्थीगण को उनके हिस्से अनुसार दी जावे।

रास्ते के नाप में अगर कोंई परिवर्तन होता है तो तहसीलदार अपने स्तर पर निस्तारण करे व रास्ते में आने वाले पेड़ या अन्य बाधा को हटाया जाता है तो उसका हर्जा खर्चा प्रार्थी से वसूल किया जावे तथा राजस्व रिंकार्ड में रास्ते को अमल दरामद करे। तहसीलदार सूरजगढ़ की रिपोर्ट निर्णय का भाग रहेगा।

(श्री दीपक चंदन आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

यह निर्णय आज दिनांक 04/08/....2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से सरे इजलास में सुनाया गया।

(श्री दीपक चंदन आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी ,सूरजगढ़
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़